निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1011) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं० 08/आरोप–01–15/2016–13572सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

4 अक्तूबर 2016

श्री शमीम अहमद, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक–125/11) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोसी, जहानाबाद (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक–1011, दिनांक 24.04.1993 के द्वारा योजनाओं में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से अधिक राशि का भुगतान करने, बोरिंग पाइप वितरण में अनियमितता बरतने के आरोपों से आच्छादित प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री अहमद से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उनके स्पष्टीकरण पर क्रमशः जिला पदाधिकारी, जहानाबाद एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से मतंव्य माँगी गयी। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक–156724, दिनांक 22.07.2013) में श्री अहमद के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा संसूचित असहमति के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. सम्यक् विचारोपरांत उक्त आरोपों की जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–18533, दिनांक 05.12.2013 द्वारा श्री अहमद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री अहमद की सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.01.2015) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2321, दिनांक 11.02.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

3. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1722, दिनांक 09.12.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभागीय पत्रांक–17998, दिनांक 31.12.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोपों पर श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया जो अप्राप्त रहा।

4. अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी जिसमें यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा नलकूप योजना के कार्यान्वयन में पूर्ण सतर्कता नहीं बरती गयी तथा बिना सत्यापन किये ही वांछित अर्हता धारित नहीं करने वाले कृषकों को भी नलकूप स्वीकृत करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। इसके साथ ही जिला योजना के अन्तर्गत तकनीकी पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति लिए ही योजनाओं का कार्यान्वयन कराने संबंधी प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रमाणित पायी गयी।

सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री अहमद के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 03 (तीन) वर्षों तक करने का निर्णय लिया गया। विभागीय पत्रांक–6823, दिनांक 13.05.2015 द्वारा उक्त पेंशन कटौती के विनिश्चित निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–1838, दिनांक 20.09.2016 द्वारा पेंशन कटौती के प्रस्ताव में आयोग की सहमति संसूचित की गयी है।

5. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत श्री शमीम अहमद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–125/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती का निर्णय लिया जाता है :–

(क) पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) प्रतिशत कटौती 03 (तीन) वर्षों तक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1011-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in